आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :बदायूँ,तहसील :बदायूँ
वाद संख्या :-09617/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201812070109617
करन थरेजा बनाम सरकार उ0 प्र0
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

~~प्रस्तुत वाद की कार्यवाही धारा-80 यू०पी० राजस्व संहिता 2006~~ के अन्तर्गत [illegible]
प्रार्थीगण करन थरेजा पुत्र सुभाष थरेजा एवं कैलाश मेंहदी रत्ता पत्नी रामनाथ [illegible]
निवासीगण मोहल्ला पंजाबी कालोनी कस्बा उझानी तहसील व जिला बदायूँ द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र [illegible] के साथ
प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण की भूमि खाता संख्या-1323 रकबा 1.290 हे0 स्थित ग्राम
शेखूपुर परगना उझानी तहसील व जिला के संक्रमणीय भूमिधर है, जिस पर कृषि का कार्य
नहीं किया जा रहा है। स्कूल का निर्माण कार्य कर रहे है। अकृषक प्रयोग में [illegible]
कारण भूमि विवादित को अकृषक भूमि घोषित किये जाने की याचना की गई है।
[illegible] प्रार्थना पत्र की जाँच तहसीलदार बदायूँ से कराई गई। तहसीलदार बदायूँ
द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित आख्या में अंकित किया गया है कि भूमि खाता संख्या [illegible]
रकबा 1.290 हे0 प्रार्थीगण के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है [illegible]
नहीं हो रहा है। मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त भूमि पर [illegible]
[illegible] फोटोग्राफ संलग्न है। [illegible]
अकृषक घोषित करने एवं लगान 31.90 [illegible] मुक्त करने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित
की गई है।

तहसीलदार बदायूँ से जाँच आख्या प्राप्त होने पर [illegible]
पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि [illegible]
बदायूँ की उक्त आख्यानुसार भूमि प्रार्थीगण करन थरेजा पुत्र सुभाष थरेजा [illegible]
मेंहदी रत्ता पत्नी रामनाथ मेंहदीरत्ता निवासीगण मोहल्ला पंजाबी कालोनी कस्बा उझानी
तहसील व जिला बदायूँ का नाम [illegible]
[illegible] -1323 रकबा 1.290 हे0 के [illegible]
की उक्त भूमि 1.290 हे0 का अकृषक घोषित किये जाने की [illegible] संस्तुति सहित प्रेषित
की गई है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पत्र में उल्लेख किया गया कि प्रार्थी भूमि
स्थित ग्राम शेखूपुर परगना उझानी तहसील बदायूँ के खाता संख्या-1323 क्षेत्रफल 1.290
हे0 के मालिक व काबिज आराजी है। उक्त भूमि स्कूल का निर्माण चल रहा है। भूमि
विवाद रहित है। उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए भूमि विवादित को अकृषक घोषित किये
जाने की याचना की गई है। महानिरीक्षक निबन्धन, उ0 प्र0, लखनऊ के पत्रांक
2893 / शि0का0लख0 / 2018 दिनांक 30-8-2018 के अन्तर्गत भूमि को धारा-80 के
अन्तर्गत कृषि भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने वाले वादों में उद्घोषणा शुल्क के
अतिरिक्त कोर्ट फीस स्टाम्प [illegible] उपनिबन्धक बदायूँ द्वारा सर्किल रेट का
एक प्रतिशत धनराशि अंकन 54,180/- चालान संख्या-जी सी 37718 दिनांक
12-10-2018 से राजकोष में जमा कर चालान प्रति प्रस्तुत की गई तथा कोर्ट फीस के
स्टाम्प अंकन 54,180/-दिनांक 11-10-18 प्रस्तुत किये गये है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा
निर्धारित उद्घोषणा शुल्क एवं कोर्ट फीस अदा की गई है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध
साक्ष्यों एवं तहसीलदार बदायूँ द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर उक्त प्रश्नगत भूमि
अकृषक भूमि घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः करन थरेजा पुत्र सुभाष थरेजा एवं कैलाश मेंहदी रत्ता पत्नी रामनाथ
मेंहदीरत्ता निवासीगण मोहल्ला पंजाबी कालोनी कस्बा उझानी तहसील व जिला बदायूँ की
ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए भूमि स्थित ग्राम शेखूपुर परगना उझानी
तहसील बदायूँ के भूमि खाता संख्या-1323 रकबा 1.290 हे0 पर स्कूल का निर्माण होने के
कारण भूमि को अकृषक भूमि घोषित किया जाता है तथा लगान 31.90 [illegible]
जाता है। तदनुसार भू0 अभिलेखों में प्रविष्टि हेतु आदेश की एक-एक प्रति उपनिबन्धक एवं
तहसीलदार बदायूँ को प्रेषित की जाये। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली दाखिल
दफ्तर हो।

दिनांक 24-10-2018

(हस्ताक्षर)
उपजिलाधिकारी बदायूँ